जे0जे0 एक्ट/मानदेय
संख्या-10/2017/2076/60-1-17-1/13(86)/04
टी0सी0

प्रेषक,

रेणुका कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
महिला कल्याण,
उ0प्र0।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग-1 लखनऊः दिनांक 25 जुलाई, 2017

विषयः- किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के अन्तर्गत आदर्श नियमावली, 2016 के प्राविधानों के अनुरूप किशोर न्याय बोर्ड/बाल कल्याण समिति के सदस्यों/अध्यक्षों हेतु आयोजित की जाने वाली बैठकों तथा देय मानदेय में वृद्धि किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक् शासन के पत्र संख्या-9/2017/1539/60-1-17-1/13(86)/04 टी0सी0, दिनांक 05.06.2017 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों में किशोर न्याय समिति एवं बाल कल्याण बोर्ड के अध्यक्षों एवं सदस्यों को मानदेय रू0 1,000/- प्रति बैठक से बढ़ाकर रू0 1500/- प्रति बैठक किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त बढ़ी हुई धनराशि रू0 1500/- प्रतिमाह 20 बैठकों हेतु स्वीकृति प्रदान की जाती है।

भवदीया,

(रेणुका कुमार)
प्रमुख सचिव

IMG-20170708-WA0010.jpg

संख्या– 1539 /60–1–17, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2– मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, महिला कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
3– विशेष सचिव, न्याय एवं अपर विधि परामर्शी, न्याय अनुभाग–2
4– समस्त जिलाधिकारी।
5– समस्त कोषाधिकारी/प्रभारी कोषाधिकारी, उ0प्र0।
6– समस्त उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी/समस्त जिला परिवीक्षा अधिकारी/बाल कल्याण समिति, उ0प्र0।
7– वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–3
8– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राम केवल)
विशेष सचिव